न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –26/2019(2019/00239)

अनवान : –

1. रामबाबू पुत्र श्री मदनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र शर्मा प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 21/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 213/207 की 20.6770 है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 140 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम बाबूलाल वल्द मदनलाल दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामबाबू वल्द मदनलाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पैन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज रामबाबू नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम रामबाबू पुत्र मदनलाल ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बाबूलाल वल्द मदनलाल की जगह रामबाबू वल्द मदनलाल करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य प्रार्थी में रामबाबू पुत्र मदनलाल [illegible]दरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम भनाई [illegible] 2074–77 खाता सं 244/213 प्रदर्श 1 मनोनित पार्षद प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र प्रदर्श 3 [illegible] पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 4 तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि प्रदर्शित करवाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी ने रोही मौजा भनाई के खाता सं 213/207 की 20.6770 है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 140 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से रामबाबू की जगह बाबूलाल पुत्र मदनलाल दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामबाबू पुत्र मदनलाल है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो रामबाबू पुत्र मदनलाल नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 213/207 की 20.6770 है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 140 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **बाबूलाल पुत्र मदनलाल की जगह रामबाबू पुत्र मदनलाल** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच बाबूलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में बाबूलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी बाबूलाल नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested